

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0 सं0:-1/एम0-1-108/2018.....34.....

/पटना, दिनांक- 08.09.2025

निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4167 (अनु0), दिनांक-29.08.2024 तथा भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के परिपत्र क्रमांक-428/07/2021- ए.वी.डी. 4 (बी), दिनांक-03.09.2021 द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के अंतर्गत प्रकरणों में मानकीकरण एवं संचालन हेतु विभागीय कार्यालय आदेश सं0-35, दिनांक-25.09.2024 द्वारा डॉ0 गजेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना को नामित किया गया था। डॉ0 सिंह के स्थानांतरण होने के फलस्वरूप श्रीमती पूजा कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को उक्त कार्य हेतु नामित किया जाता है। श्रीमती कुमारी के संबंध में सूचना निम्न प्रकार है :-

नाम-श्रीमती पूजा कुमारी (बि0प्र0से0),

पदनाम-विशेष कार्य पदाधिकारी,

मोबाईल सं0-8697704411

ई0-मेल-puja.etc@gmail.com

2. प्रस्ताव पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

✓ (नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक- 643

पटना, दिनांक- 08.09.2025

प्रतिलिपि-विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/अपर सचिव/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता (असैनिक)/श्रीमती पूजा कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी एवं सभी प्रशाखा पदाधिकारियों/ विभागीय आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ (नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक- 643

पटना, दिनांक- 08.09.2025

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-4167 (अनु0), दिनांक-29.08.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ (नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक- 643

पटना, दिनांक- 08.09.2025

प्रतिलिपि-सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)

29-25